पत्र संख्या : 7ब/2701 स्था०व्य०ज०सं०–03/2018.....212

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/रॉची/हजारीबाग/
मुख्य अभियंता (यॉ०) जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

रॉची, दिनांक : 19/3/19

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2701– मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–07–मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

| क्रमांक | मांग संख्या/मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | आवंटित राशि (लाख ₹ में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701–मध्यम सिंचाई | 03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक | 001–निदेशन तथा प्रशासन/ 07–मध्यम सिंचाई परियोजना | **58.195** |

**कुल आवंटित राशि – रुपये अंठावन लाख उन्नीस हजार पॉच सौ मात्र**

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 के संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ 11240.75 लाख **(एक सौ बारह करोड़ चालीस लाख पचहत्तर हजार मात्र)** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि॰) दि॰15.07.2003,1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

18/03/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित विभाग का पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक–29/बी०टी०ई०–18/2014.–15/300 दिनांक–30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा ।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। **अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरूद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke/Surrender No** का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुकमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुकमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2019 के पूर्व** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

***नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट ( http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।***

**अनु॰ :– यथोक्त**

(अरूण कुमार सिंह) 18.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 212 रॉंची, दिनांक :– 19/3/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरंडा/देवघर/गुमला/चाईबासा/खूँटी/साहेबगंज/हजारीबाग/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु॰ :– यथोक्त**

(अरूण कुमार सिंह) 18.3.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 212 रॉंची, दिनांक :– 19/3/19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(मो॰), रॉंची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु॰ :– यथोक्त**

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे) 18/03/19
विशेष सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 18.3.19
अपर मुंख्य सचिव

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक
लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–07–मध्यम सिंचाई परियोजना
मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

पत्रांक 212 दिनांक 19/3/19 का अनुलग्नक

*परिशिष्ट I*

| क०सं० | वित्तीय वर्ष 2018–2019 | | विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते | | | विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय | विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय | | | | | | विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाडियां | विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय | राशि लाख रूपये में | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कार्यालय का नाम | | वेतन | 15.11.2000 के पूर्व का बकाया | एल०टी०सी० | देशीय यात्रा व्यय | कार्यालय व्यय | किराया,दरें, कर | आपूर्ति एवं सामग्री | दूरभाष | वर्दी | विद्युत व्यय | मोटरगाडियां इंधन एवं मरम्मति | विधि प्रभार | कुल योग | अभियुक्ति |
| | | विपत्र कोड | 49S270103001070101 | 49S270103001070110 | 49S270103001070112 | 49S270103001070213 | 49S270103001070315 | 49S270103001070316 | 49S270103001070323 | 49S270103001070333 | 49S270103001070334 | 49S270103001070337 | 49S270103001070442 | 49S270103001070760 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | मुख्य अभि० यांत्रिक, रॉची | पूर्व का आवंटन | 35.000 | 0.000 | 0.300 | 0.800 | 1.250 | 0.000 | 0.200 | 0.550 | 0.000 | 0.400 | 2.000 | 0.000 | 40.500 | |
| | | अतिरिक्त आवंटन | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.170 | |
| | | कुल आवंटन | 35.000 | 0.000 | 0.300 | 0.800 | 1.320 | 0.000 | 0.200 | 0.550 | 0.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 40.670 | |
| 2 | जलपथ अंचल, चाईबासा | पूर्व का आवंटन | 183.420 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.225 | 0.500 | 0.400 | 0.000 | 186.045 | |
| | | अतिरिक्त आवंटन | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | |
| | | कुल आवंटन | 183.420 | 0.000 | 0.000 | 0.600 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.225 | 0.500 | 0.400 | 0.000 | 186.095 | |
| 3 | रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, रॉची | पूर्व का आवंटन | 160.990 | 0.000 | 0.400 | 1.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.225 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 163.865 | |
| | | अतिरिक्त आवंटन | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | |
| | | कुल आवंटन | 160.990 | 0.000 | 0.400 | 1.250 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.250 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 163.890 | |
| 4 | सिंचाई अंचल, साहेबगंज | पूर्व का आवंटन | 66.100 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 0.800 | 0.000 | 0.200 | 0.150 | 0.075 | 0.350 | 1.250 | 0.000 | 69.825 | |
| | | अतिरिक्त आवंटन | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | |
| | | कुल आवंटन | 66.100 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.800 | 0.000 | 0.200 | 0.150 | 0.075 | 0.350 | 1.250 | 0.000 | 69.925 | |
| 5 | सिंचाई यांत्रिक अंचल ,रॉची | पूर्व का आवंटन | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 20.200 | |
| | | अतिरिक्त आवंटन | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | |
| | | कुल आवंटन | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 20.250 | |
| 6 | गुण नियंत्रण प्रमंडल, रॉची | पूर्व का आवंटन | 261.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.700 | 0.000 | 0.200 | 0.050 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.250 | 265.400 | |
| | | अतिरिक्त आवंटन | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.500 | |
| | | कुल आवंटन | 269.500 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.700 | 0.000 | 0.200 | 0.050 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.250 | 273.900 | |
| 7 | जलपथ प्रमंडल, खुंटी | पूर्व का आवंटन | 325.000 | 0.000 | 0.000 | 0.950 | 0.700 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.575 | 0.000 | 0.900 | 0.100 | 328.375 | |
| | | अतिरिक्त आवंटन | 25.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 25.550 | |
| | | कुल आवंटन | 350.000 | 0.000 | 0.000 | 0.950 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.575 | 0.000 | 1.400 | 0.100 | 353.925 | |
| 8 | जलपथ प्रमंडल सं. –2,चैनपुर गुमला | पूर्व का आवंटन | 160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.600 | 0.000 | 0.200 | 0.150 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 6.365 | 167.815 | |
| | | अतिरिक्त आवंटन | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.350 | |
| | | कुल आवंटन | 160.000 | 0.000 | 0.000 | 0.650 | 0.600 | 0.000 | 0.200 | 0.150 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 6.365 | 168.165 | |
| 9 | पुनासी बॉध प्रमंडल, पुनासी शिविर–देवघर | पूर्व का आवंटन | 242.000 | 0.000 | 1.000 | 1.600 | 0.700 | 0.000 | 0.200 | 0.150 | 0.450 | 0.200 | 0.900 | 0.200 | 247.400 | |
| | | अतिरिक्त आवंटन | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | |
| | | कुल आवंटन | 242.000 | 0.000 | 1.000 | 1.600 | 0.700 | 0.000 | 0.200 | 0.150 | 0.450 | 0.200 | 1.300 | 0.200 | 247.800 | |
| 10 | विशेष भू–अर्जन पदा०, चाईबासा | पूर्व का आवंटन | 195.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.250 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 196.000 | |
| | | अतिरिक्त आवंटन | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.000 | |
| | | कुल आवंटन | 203.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.250 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 204.000 | |
| 11 | विशेष भू–अर्जन पदा० तेनुघाट परियोजना , हजारीबाग | पूर्व का आवंटन | 149.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 150.800 | |
| | | अतिरिक्त आवंटन | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.000 | |
| | | कुल आवंटन | 164.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 165.800 | |
| | अतिरिक्त आवंटन का योग | | 56.500 | 0.000 | 0.000 | 0.450 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.900 | 0.000 | 58.195 | |

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये अंठावन लाख उन्नीस हजार पॉच सौ मात्र

राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे) 18/03/19.
विशेष सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 18.3.19
अपर मुख्य सचिव